सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री महानंद सिंह, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री भरत बिन्द, स०वि०स० श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री शिवप्रकाश रंजन, स०वि०स० श्री ऋषि कुमार, स०वि०स० श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्रीमती अनिता देवी, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स०	"सोन नदी क्षेत्र के अरवल, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद तथा गंगा नदी के पटना सहित अन्य जिला क्षेत्रों से अनियंत्रित बालू निकासी की वजह से कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पर्यावरण काफी असंतुलित हो गया है, जिसके कारण लाखों आबादी के जीवन पर काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। भू जलस्तर काफी नीचे चला गया है व पेयजल का संकट गहरा रहा है। हवा में धूलकण की मात्रा काफी बढ़ गई है जिसके कारण साँस व आँख की बीमारी हो रही हैं एवं बालू निकासी क्षेत्र के अगल-बगल खेतों के फसल भी बर्बाद हो रहे हैं, सड़कें नष्ट हो रही हैं। नदियों में बने बड़े-बड़े गड्ढों में बच्चों की डूबकर मौतें हो रही हैं। अत: सोन व गंगा नदी के तटीय इलाकों में सरकार द्वारा उच्च स्तरीय सर्वे कराने के लिए टीम गठित कर पर्यावरण व जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर बालू खनन करने के लिए एक सुसंगत नीति बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"	खान एवं भूतत्व

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स०	''कटिहार नगर निगम क्षेत्र सहित बिहार के लगभग सभी शहरों में मांस की बिक्री हेतु मनमाने ढंग से दुकानें खुली हैं । मांस विक्रेता वधशाला में जानवरों को नहीं काटकर, दुकान में ही जानवरों को काटते हैं एवं कटे जानवरों के अपशिष्ट नालों में डाला जाता है । जिसके कारण तेजी से प्रदूषण फैल रहा है तथा कई प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना बनी रहती हैं । खुले में जानवरों को काटने से आमलोगों का जीना मुहाल हो गया है। अतः अविलंब मांस बिक्री हेतु जानवरों की कटाई अधिकृत वधशाला में करने एवं शहर में अधिकृत रूप से एक स्थान पर बिक्री कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	नगर विकास एवं आवास

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/25- 198 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 25.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/25- 198 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 25.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/25- 198 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 25.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/25- 198 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 25.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।